कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer-in-Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 **Web- https://pwd.uk.gov.in** **E-Mail-estapwd@gmail.com**

पत्रांक- 457 /34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2025 दिनांकः-28/04/2026

-:कार्यालय ज्ञापः-

राज्य में विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1, वर्ष-2018) के अनुपालन में जारी दिशा निर्देशों एवं समय सारिणी के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष-2026 हेतु स्थानान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा HRMS Portal पर ऑनलाईन भरे गये डाटा यथा-सेवा विवरण के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-411/34व्यक-स्थाना0-सा0/26 दिनांक-15.04.2026 के द्वारा समूह-'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की बेवसाईट पर अपलोड किये गये हैं।

कतिपय कार्मिकों द्वारा अपलोड की गयी पात्र कार्मिकों की सूची में अन्य कार्मिकों के विषय में पूर्ण सेवाकाल में ली गई छुट्टियों के HRMS Portal पर अंकित ब्यौरे के सम्बन्ध में आपत्तियां दर्ज की गई है, तथा पात्रता सूची संशोधित करने की मांग की जा रही है।

विगत दो माहों से लगातार इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से सभी कार्यालयाध्यक्षों (अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं) को HRMS Portal पर कार्मिकों का सेवा विवरण सही किये जाने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी HRMS Portal पर कार्मिकों का data सही नहीं भरा गया है अपितु सभी कार्यालयाध्यक्षों के द्वारा HRMS Portal पर समस्त कार्मिकों का डाटा सही भर दिये जाने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

उक्त के क्रम में सभी कार्यालयाध्यक्षों (अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं) को यह स्पष्ट किया जाता है कि अपने अधीनस्त समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका और HRMS Portal का समस्त विवरण का मिलान कर लें तथा यदि किसी कार्मिक के सेवा विवरण (जनपद/गृह तहसील/छुटटियाँ आदि) में कोई त्रृटि संज्ञान में आती है तो आज दिनांक 28.04.2026 सायं 5 बजे तक इसकी सूचना प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के सम्बन्धित वर्ग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि किसी प्रकार की आपत्ति किसी कार्मिक के द्वारा की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष एवं अधीनस्थ मिनिस्टीरियल कार्मिक की होगी तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण उच्चस्तर पर संदर्भित कर दिया जायेगा।

प्रकरण महत्वपूर्ण है अतः सभी कार्यालयाध्यक्षों का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

(इं0 दयानन्द)
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
02. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
03. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
04. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
05. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कार्यालय ज्ञाप को लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
06. प्रशासनिक/वरिष्ठ/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन-क/ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
07. गार्ड पत्रावली हेतु।

28.4.2026
मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान)
28/04/2026